दिनांकः 06.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 02 वांछित अभियुक्तगणो को गिया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.24 को वादी श्री अजय कुमार पुत्र पप्पू निवासी ग्राम खेडाकुटी थाना नकुड जनपद सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण **1. अर्जुन गुर्जर पुत्र जसवीर निवासी साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2. शुभम पुत्र विजय निवासी साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3. मोहित पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम सापला बेगमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 4. अंकित पुत्र नामालूम निवासी ग्राम टोली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व कुछ अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात** द्वारा वादी व वादी के भाई के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0 06/4 धारा 147/148/149/307/504/506 भा0द0वि0** पंजीकृत कराया गया था। थाना नकुड पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों में से **अर्जुन गुर्जर व शुभम उपरोक्त** को पूर्व में ही गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध 02 तमन्चे व 02 जिन्दा कारतूस बरामद कर जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य नामजद अभियुक्त मोहित व अंकित उपरोक्त ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अन्तरिम जमानत करा ली है। । विवेचना के दौरान अन्य अज्ञात व्यक्तियों में 1. रोबिन पुत्र संजय निवासी पिलखनी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. बिट्टू पुत्र कर्मपाल निवासी ग्राम भाँखला थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर 3.आशू उर्फ कुलवन्त पुत्र रविन्द्र निवासी शेखपुरा थाना सरसावा सहारनपुर 4. दीपक पुत्र विरेन्द्र निवासी बीरा खेड़ी थाना गंगोह सहारनपुर का नाम प्रकाश आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित/ वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.06.24 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकदमे के प्रकाश में आये 02 वाँछित अभियुक्तगण **1.रोबिन पुत्र संजय निवासी ग्राम पिलखनी थाना नकुड जिला सहारनपुर 2.दीपक पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम बीराखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि दिनाक 14.01.2024 को अपने दोस्त अर्जुन के कहने से हम अपने अन्य दोस्तों के साथ ग्राम खेडा कुटी चौराहे पर सन्नी की दुकान पर गये थे। अर्जुन व अजय का कुछ पैसों का लेन देन था जिसे लेकर दोनों में कहासुनी हो गयी थी, तो तैश में आकर अर्जुन व शुभम ने अपने तमन्चों से दुकान के सामने खडे होकर सन्नी व उसके भाई अजय कुमार पर जान से मारने की नियत से फायरिग दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1-रोबिन पुत्र संजय निवासी ग्राम पिलखनी थाना नकुड जिला सहारनपुर

2. दीपक पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम बीराखेडी थाना गगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

3. उ0नि0 श्री विवेक कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 05.06.2024 को वादिया मुकदमा ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत खुद के देवर शशिकान्त वर्मा पुत्र स्व0 अनिल कुमार वर्मा को गोलकोठी के पास थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 224/2024 धारा 376/506/120बी भा0द0वि0 व 67ए आईटी एक्ट** पंजीकृत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर मुकदमा उपरोक्त में नामित वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आवश्यक आदेश निर्देश दिये जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 06/06/24 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्त शशिकान्त वर्मा पुत्र स्व0 अनिल कुमार वर्मा को गोलकोठी के पास थाना मण्डी सहारनपुर** को गोलकोठी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शशिकान्त वर्मा पुत्र स्व0 अनिल कुमार वर्मा को गोलकोठी के पास थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण – मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. अति0 निरी0 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 06.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ,कब्जे से 01 चाकू बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध हथियारो की तस्करी की रोकथाम /इस कारोबार में संलप्ति अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त/ चैकिंग के दौरान **मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/5/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के वांछित अभियुक्त भूरा उर्फ शहजाद पुत्र मेहन्दी हसन निवासी अहमद कालोनी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को 62 फुटा रोड पर ताज पैलेस के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मंड़ी पर **मु0अ0सं0 226/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट** मुकदमा पंजीकृत किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पूंछताछ करने पर अभियुक्त भूरा उर्फ शहजाद उपरोक्त द्वारा बताया गया मै यह चाकू अपने पास शौक के लिए रखता हूँ। मै यहाँ किसी के आने का इन्तजार कर रहा था। तभी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- भूरा उर्फ शहजाद पुत्र मेहन्दी हसन निवासी अहमद कालोनी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 चाकू नाजायज

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 496/2016 धारा 302,34,394 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 502/2016 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 217/2017 धारा 13 जी एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 236/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 60/2024 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 06.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर द्वारा 05 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड की सजा व 7 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः–

अवगत कराना है कि दिनांक 26.12.2015 को वादी श्री सतपाल छाबडा पुत्र करतार सिंह नि0 पटेलनगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के साथ अभियुक्त 1-भुपेन्द्र बत्रा पुत्र हरशरण 2-अमरजीत पुत्र हरशरण 3-गुरूप्रताप उर्फ हनी पुत्र भुपेन्द्र 4-गुरूनीत पुत्र अमरजीत नि0गण माधोप्रसाद वाली गली गुरूद्वारा रोड थाना कुतुबशेर 5-गुरमीत पुत्र सरदार मूल सिंह नि0 मौ0 किशनपुर थाना को0नगर जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी की गाडी को रोककर गाली-गलोच करना व धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से हमला करना जिससे वादी सतपाल छाबडा को घायल हो जाना तथा कर्मवीर पुत्र सतपाल की हत्या हो जाने की सूचना पर मु0अ0स0-384/2015 धारा 147,148,149,307,302,341,504 भादवि थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी कुतुबशेर श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा की गयी जिसका आरोप-पत्र 150 पेज का दि0 26.12.2016 को मा0न्यायालय में प्रेषित किया गया था उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 240/2016 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 06.06.2024 को अभियुक्तगण **1-भुपेन्द्र बत्रा पुत्र हरशरण 2-अमरजीत पुत्र हरशरण 3-गुरूप्रताप उर्फ हनी पुत्र भुपेन्द्र 4-गुरूनीत पुत्र अमरजीत 5-गुरमीत पुत्र सरदार मूल सिंह को मु0अ0स0-384/2015 धारा 147,148,149,307,302,341,504 भादवि का दोषी पाते हुए मृत्युदण्ड (फांसी) की सजा व प्रत्येक अभियुक्त पर 1 लाख 50 हजार रू0 से दण्डित किया गया।**

एडीजे-08-श्री महेश कुमार

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विक्रम सिंह

विवेचक रिटायर्ड क्षेत्राधिकारी श्री शैलेन्द्र शर्मा

पैरोकार हे0का0 650 लक्षेन्द्र देशवाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांकः 06-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा सामुहिक दुष्कर्म के 01 वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 17.05.2024 को वादी द्वारा थाना नागल उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत **1.अवनीश पुत्र कबाडी 2.विशाल पुत्र सुरेन्द्र निवासी गण ग्राम भाटखेडी थाना नागल सहारनपुर** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर **मु0अ0सं0 111/24 धारा 363 भादवि** पंजीकृत कराया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त की अपहृता को दिनांक 18.05.2024 को सकुशल बरामद किया गया तथा साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 376डी/506 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट** की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे,जनपद में अपराधो नियन्त्रण एवं महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नांगल ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 06.06.2024 को वांछित अभियुक्त **अवनीश पुत्र ओमप्रकाश उर्फ कबाडी निवासी भाटखेडी थाना नांगल जिला सहारनपुर** को लाखनौर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अवनीश पुत्र ओमप्रकाश उर्फ कबाडी निवासी भाटखेडी थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर